केंद्रीय बजट 2018–19

ग्रामीण नौजवानों के लिए कौशल विकास और रोजगार

–ए. सृजा

भारत के पास ऐसी विशाल जनशक्ति की चुनौती है जो अकुशल/अर्धकुशल है। इन्हें उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ी चुनौती है। आज देश के सामने इन लोगों को अल्पावधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण देने और जो लोग पहले से रोजगार में हैं, उनके पहले के व्यावहारिक ज्ञान को मान्यता देने की चुनौती है।

15 अगस्त, 2017 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि भारत नौजवानों का देश है। सचमुच युवाओं की जनसंख्या की दृष्टि से आज भारत दुनिया में सबसे अधिक नौजवानों वाला देश बन गया है और जैसे–जैसे देश अपनी आजादी के 75वें साल में 2022 तक 'न्यू इंडिया' यानी नए भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो देश के युवाओं पर इस लंबी छलांग की जिम्मेदारी आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार– 15–24 साल तक के नौजवानों को युवा कहा जाता है और ये वह उम्र है जब बच्चे अनिवार्य शिक्षा पूरी कर पहली बार रोजगार की तलाश में निकलते हैं। लेकिन भारत की राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में 15–29 साल तक के नौजवानों को युवा माना गया है और हमारी जनसंख्या में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या 27.5 प्रतिशत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में युवा की परिभाषा ऐसे नौजवानों के रूप में की है जो 15–29 वर्ष के आयु वर्ग में हैं जबकि श्रम ब्यूरो ने 18–29 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आने वालों को 'युवा' की श्रेणी में रखा है। वर्ष 2015–16 में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की श्रमशक्ति प्रतिभागिता दर (एलएफपीआर) 48.5 प्रतिशत थी जबकि शहरी इलाकों में यह 36.2 प्रतिशत थी।[1]

श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं का अनुपात 18–29 वर्ष के आयु वर्ग में बढ़ना शुरू हो जाता है। तालिका–1 में यह देखा जा सकता है कि 15–17 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 10 प्रतिशत बच्चे ही श्रम बाजार में पहुंच पाते हैं जबकि 18–29 साल के आयु वर्ग के 47.3 प्रतिशत लोग श्रम बाजार में आते हैं और इनमें भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इस आयु वर्ग के 67.5 प्रतिशत पुरुष रोजगार की तलाश में श्रम बाजार में पहुंचते हैं जबकि महिलाओं की संख्या 25 प्रतिशत होती है। हर साल श्रमशक्ति में शामिल होने वाले 43.3 प्रतिशत युवाओं में से केवल 42.4 प्रतिशत श्रमशक्ति का निर्माण करते हैं। तालिका–1 से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की श्रमशक्ति प्रतिभागिता दर दुगुने से अधिक है। प्रवेश के स्तर पर (15–17 साल) बेरोजगारी की दर 13 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है जबकि नौजवानी के चरम वर्षों में यह घटकर 10.2 प्रतिशत पर आ जाती है और 30 वर्ष और इससे अधिक के सर्वोच्च उत्पादक सालों में बेरोगजारी की दर लगभग एक प्रतिशत से भी कम हो जाती है।

पिछले तीन वार्षिक सर्वेक्षणों में श्रम बाजार में युवाओं की भागीदारी की तुलना से पता चलता है कि पिछले सर्वेक्षण यानी 2015–16 में 2013–14 और 2012–13 की तुलना में 18–29 साल के आयु वर्ग में श्रमशक्ति और कार्यशक्ति की प्रतिभागिता दर में कमी आई। वर्ष 2013–14 के मुकाबले बेरोजगारी दर बढ़कर दहाई के स्तर पर पहुंच गई। (ग्राफ–1)।

युवाओं के शैक्षिक स्वरूप (तालिका–2) को देखने से पता चलता है कि जिन लोगों में साक्षरता का स्तर प्राथमिक से कम का है उनमें से करीब 50 प्रतिशत की गिनती तो श्रमशक्ति में भी नहीं की जाती। सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम स्तर की शैक्षिक योग्यता वालों की तादाद 60 प्रतिशत से अधिक है। युवाओं के छूटने की ऊंची दर निश्चय ही चिंता का विषय है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की उच्च दर से शिक्षा/कौशल प्रदान करने की गुणवत्ता के मुद्दे पर सवाल खड़े होते हैं। क्या हमारी शिक्षा युवाओं की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता का ध्यान रखती है या फिर उपलब्ध रोजगार युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह के रोजगार युवा चाहते हैं, उनकी कमी हो। ये तीनों ही संभावनाएं अलग–अलग परिमाण में युवाओं के श्रमशक्ति का अंग बनने से रह जाने का कारण हो सकती हैं।

युवाओं के स्थानिक वितरण (तालिका–3) से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और शहरी

#न्यू इंडिया बजट नए अवसरों के लिए

- मुद्रा योजना के तहत ऋण का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया
- अगले तीन वर्षों तक सरकार सभी क्षेत्रों के नए कर्मचारियों के वेतन पर 12 प्रतिशत ईपीएफ का योगदान देगी
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना के तहत 50 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा
- 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गई

तालिका–1 : युवा जनसंख्या के बारे में श्रम बाजार के संकेतक (प्रतिशत में) यूपीएसएस के अनुसार

संकेतक	15-17 वर्ष			18-29 वर्ष			30 वर्ष और अधिक		
	पुरुष	स्त्री	P	पुरुष	स्त्री	P	पुरुष	स्त्री	P
एलएफपीआर	13.1	6.2	10.0	67.5	25.0	47.3	88.1	31.1	60.3
डब्ल्यूपीआर	11.4	5.4	8.7	61.6	21.3	42.4	87.7	30.4	59.7
यूआर	12.6	13.7	13.0	8.7	14.6	10.2	0.5	2.2	0.9

नोट : एलएफपीआर – श्रम शक्ति प्रतिभागिता दर, डब्ल्यूपीआर – श्रमिक व जनसंख्या अनुपात, यूआर – बेरोजगारी दर, यूपीएसएस : सामान्य सिद्धांत और अनुशंगी स्थिति

(स्रोत : युवा रोजगार–बेरोजगारी परिदृश्य 2015–16, खंड 2, श्रम ब्यूरो)

इलाकों में 70 प्रतिशत युवा श्रमशक्ति से बाहर हैं।

भारत में 30 साल और इससे अधिक आयु वर्ग की 38.9 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 48.8 प्रतिशत शहरी आबादी श्रमशक्ति के दायरे से बाहर है। इसे ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि 18 से 29 के आयु वर्ग में आने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा, जो श्रमशक्ति के दायरे से बाहर है, पढ़ाई में ही संलग्न होगा।

18–29 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले 42.4 प्रतिशत लोगों में से 39 प्रतिशत स्वरोजगार में संलग्न थे, 36.6 प्रतिशत आकस्मिक मजदूरी कर रहे थे, 5.4 प्रतिशत अनुबंध पर थे और केवल 19 प्रतिशत वेतन/पगार पर काम करते थे। व्यवसाय के अनुसार करीब 38.1 प्रतिशत युवा कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में लगे थे जबकि 19.4 प्रतिशत व्यापार, अनुरक्षण, परिवहन, भंडारण, संचार, खाद्य सेवाओं आदि में संलग्न थे। इसके अलावा 15.1 प्रतिशत निर्माण गतिविधियों में लगे थे।

देश में 14 से 18 साल के बच्चों के बारे में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार यह पाया गया है कि इस आयु वर्ग में से ज्यादातर बच्चे कामकाज में संलग्न थे चाहे वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या नहीं। इनमे से 79 प्रतिशत अपने माता–पिता के खेतों में काम करते थे और तकरीबन तीन चौथाई युवा रोजमर्रा की गतिविधियों में संलग्न थे और इनमें से 77 प्रतिशत पुरुष और 89 प्रतिशत महिलाएं थी। अध्ययन में श्रम बाजार में दाखिल होने के लिए युवाओं की तैयारियों का भी जायजा लिया और पाया कि जो लोग आठ साल की औपचारिक शिक्षा पूरी कर चुके थे उनमें से ज्यादातर के पास पढ़ने और गणित के कौशल की कमी थी इन निष्कर्षों से यह बात साफ हो जाती है कि अगर भारत अपनी भरपूर आबादी का फायदा उठाना चाहता है तो उसके सामने क्या चुनौतियां हैं।

ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास की ताजा पहल

भारत के पास ऐसी विशाल जनशक्ति की चुनौती है जो अकुशल/अर्धकुशल है। इन्हें उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ी चुनौती है। आज देश के सामने इन लोगों को अल्पावधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण देने और जो लोग पहले से रोजगार में हैं, उनके पहले के व्यावहारिक ज्ञान को मान्यता देने की चुनौती है। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत 1 फरवरी, 2018 तक करीब 44.13 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था जिनमें से 29.91 लाख ने अल्पावधि प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि 7.82 लाख के पहले से प्राप्त ज्ञान को मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा 6.4 लाख लोगों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है या फिर उनके पहले से प्राप्त ज्ञान को मान्यता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 2.0 के तहत 1 फरवरी, 2018 तक जिन 11.8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया उनमें से 7.9 लाख को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए और 2.8 लाख को रोजगार भी मिला।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2017–18 में 1.03 लाख युवाओं को 398 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनमें से 64,967 को 31 दिसंबर, 2017 तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका था। देशभर में फैले ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद विनिर्माण जैसे 56 से अधिक व्यवसायों में स्वरोजगार का प्रशिक्षण देते हैं। इस समय देशभर में 586 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। अप्रैल 2008 से नवंबर 2017 तक 25.24 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनमें से 16.64 लाख को आजीविका उपलब्ध कराई जा चुकी थी। इसके अलावा 2017–18 में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 7897 उम्मीदवारों को लाइफ–मनरेगा परियोजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मनरेगा मजदूरों के कौशल के स्तर में सुधार करना है ताकि वे आंशिक रोजगार से उबर कर पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना में कुल 56 लाख परिवारों को 4.84 लाख स्वसहायता समूहों के रूप में संगठित किया गया। वर्ष 2017–18 में

ग्राफ–1: तीन रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षणों (ईयूएस) में श्रम बाजार संकेतक

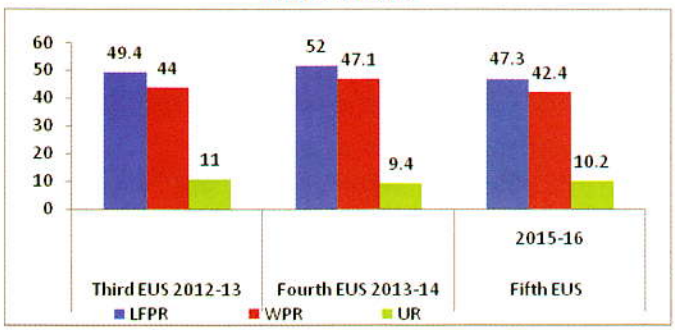

तालिका–2: 18–29 वर्ष के आयु वर्ग में शैक्षिक योग्यता के आधार पर (प्रतिशत में)

शैक्षिक योग्यता	रोजगारशुदा	बेरोजगार	श्रमबल में शामिल नहीं
साक्षर नहीं	43.0	2.2	54.8
यूजी स्तर पर प्रमाणपत्र परीक्षा	46.7	2.5	50.8
प्राथमिक	47.2	3.1	49.8
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	28.3	3.3	68.4
अधिस्नातक–स्तर पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	29.3	9.0	61.7
स्नात्तक–स्तर पर डिप्लोमा	35.1	10.5	54.4
स्नात्तक और उच्चतर	34.5	18.4	47.1

(स्रोतः 2015–16 में युवा रोजगार–बेरोजगारी परिदृश्य, खंड 2, श्रम ब्यूरो यूपीएस)

अक्तूबर 2017 तक करीब 14.2 लाख स्वसहायता समूहों ने 18000 करोड़ रुपये के कर्ज लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना में निम्नलिखित उप–घटकों पर अमल के जरिए ग्रामीण जनता को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत 17 राज्यों में 33 लाख महिला किसानों को शामिल कर कृषि आधारित आजीविका उपलब्ध कराई गई। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना स्वसहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए उन्हें पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों में ई–रिक्शा, मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन पर आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि दूरदराज के गांवों के लोगों को बाजार तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) लागू किया जा रहा है। 17 राज्यों में कुल 7800 उद्यमों को बढ़ावा दिया गया है और आशा है कि 2018–19 में 25000 अन्य उद्यमी इसके दायरे में आ जाएंगे। इस उपक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों के बीच संस्थागत ऋण उद्यमिता संपर्क कायम करना है।

स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक से अ.जा./अ.ज.जा. के कम से कम एक और कम से कम एक महिला उद्यमी को नया उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत 4747.95 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उद्यमियों को दी गई जिसमें से अनुसूचित जातियों के उद्यमियों का हिस्सा 15.05 प्रतिशत, अ.ज.जा. उद्यमियों का 4.28 प्रतिशत और महिलाओं उद्यमियों का 80.67 प्रतिशत था। मुद्रा योजना से भी कर्ज की राशि में बढ़ोतरी हुई है। इसके अंतर्गत उधार लेने वाली आमतौर पर या तो महिलाएं होती हैं या फिर अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ और इसका मकसद नवसृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला माहौल तैयार कर रोजगार के अवसर जुटाना था। 4 जनवरी, 2018 को 6096 आवेदनों की पहचान स्टार्टअप के रूप में की गई और 74 स्टार्टअप्स को करों का फायदा देने के लिए मंजूरी दी गई। जिन प्रमुख क्षेत्रों में स्टार्टअप्स कार्य कर रहे हैं उनमें आईटी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, जैवविज्ञान, शिक्षा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं और खाद्य व पेय पदार्थ शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2018–19 में की गई घोषणाएं

इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए 2018–19 के केंद्रीय बजट में कई उपायों की घोषणा की गई ताकि कौशल विकास को बढ़ावा मिले जिससे ग्रामीण युवाओं की नियोजनीयता और उनके लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो।

- सरकारी कृषि जिंसों खासतौर पर बागवानी वाली फसलों के समूह–आधारित विकास को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य उत्पादन से लेकर जिला–स्तर पर विपणन तक की गतिविधियों में व्यापक पैमाने पर कार्य करने से होने वाले आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। इस पहल के तहत ग्रामीण युवाओं को फसल–केंद्रित खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों, भंडारण, डिब्बाबंदी और विपणन के बारे में कौशल संपन्न बनाना होगा। इतना ही नहीं, जिला–स्तर पर ऐसे कृषि समूहों के गठन से कृषि से इतर कार्यों में रोजगार के अवसर ग्रामीण नौजवानों के घरों के आसपास ही उपलब्ध हो सकेंगे और उन्हें रोजी–रोटी के बेहतर मौकों के लिए शहरों की ओर नहीं भागना होगा।
- राष्ट्रीय आजीविका कार्यक्रम के तहत समूह बनाकर जैविक खेती करने को भी महिला स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में आज लोग गांवों से कस्बों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और महिलाएं गांवों में खेती के लिए अकेली पड़ती जा रही हैं। स्व–सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने से उन्नतशील बीज, जैविक खाद, पैकेजिंग और विपणन आदि के लिए आवश्यक संस्थागत संपर्क उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे जैविक बीज, खाद, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और ग्रामीण इलाकों में जैविक उत्पादों के विपणन आदि से संबंधित कार्यों में उद्यमियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे।

- किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार मत्स्य पालन और पशुपालन करने वालों के लिए भी कर दिया गया है। पशुपालन में लगे अधिकतर छोटे और सीमांत कृषकों, खासतौर पर महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। मछली बेचने वाली महिलाओं को भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के दायरे में लाया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अक्सर अपनी आवश्यकताओं के लिए साहूकारों का कर्जदार बनकर रहना पड़ता है।
- बांस को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपये की लागत के राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा की गई है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष रूप से फायदा होगा जहां बहुत से लोग आजीविका के लिए बांस क्षेत्र पर निर्भर हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के पूरा होने की तारीख 2022 से 2019 कर दी गई है। कृषि मंडियों और हाट बाजारों, हायर सेकेंडरी स्कूलों और अस्पतालों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने पर भी खासतौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 19000 करोड़ रुपये की लागत से 57,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य करने वाले अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत करीब 1.88 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन पर 30343 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 16.92 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 33,000 करोड़ रुपये की लागत से 49 लाख मकानों का निर्माण किया जाना है जिससे 46.55 लाख दिहाड़ियों का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
- मनरेगा के तहत सड़कों, अनाज के गादामों, भूमि विकास, वर्मी कम्पोस्ट, ग्रामीण आवास, पशुपालन के लिए बाड़ों जैसी टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2018–19 में इसके लिए 55000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिससे 230 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 में 13 फरवरी, 2018 तक मनरेगा के तहत 195 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार जुटाया गया।

तालिका 3 : यूपीएस दृष्टिकोण के अनुसार युवाओं का वर्गीकरण (18–29 वर्ष) प्रतिशत में

	रोजगारशुदा	बेरोजगार	श्रम शक्ति में शामिल नहीं
ग्रामीण	35.2	5.3	59.5
शहरी	25.3	4.6	70.1

(स्रोतः युवा रोजगार–बेरोजगारी परिदृश्य, 2015–16, खंड 2, श्रम ब्यूरो, संलग्नक, तालिका–15)

- मेगा फूड पार्क योजना के तहत वर्ष के दौरान 12 पार्कों का विकास करने का प्रस्ताव है जिससे 2017–18 और 2018–19 में 95,000 दिहाड़ियों के बराबर रोजगार उत्पन्न होगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महत्व को देखते हुए 2018–19 में इसके लिए आबंटन बढ़ाकर 5750 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके तहत 9 लाख स्वसहायता समूहों का गठन किया जाएगा और 5 लाख महिला किसानों, 25000 एसवीईपीज, 4 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण और 15 लागत शृंखला विकास परियोजनाओं का संचालन होगा।
- कौशल विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा का बड़ा महत्व है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2022 तक ऐसे सभी ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जहां 50 प्रतिशत आबादी या कम से कम 20,000 लोग जनजातियों के हैं। इन स्कूलों में स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण की विशेष सुविधाएं होंगी और खेल–कूद के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की सुविधाएं भी होंगी।
- सरकार ने 115 पिछड़े जिलों में सामाजिक ताने–बाने में सुधार और उन्हें आदर्श जिला बनाने के लिए आवंटन बढ़ा दिया है।
- सभी क्षेत्रों में स्थायी अवधि के रोजगार के विस्तार का प्रस्ताव है। पिछले बजट में परिधान और जूता क्षेत्र में इस तरह का रोजगार बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इस कदम के साथ–साथ कर्मचारी भविष्यनिधि में सरकार की ओर से अगले तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान करने से रोजगार की गुणवत्ता बढ़ेगी। केंद्रीय बजट में ही यह बात स्वीकार की गई है कि स्वतंत्र रूप से किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि इस साल रोजगार के 70 लाख औपचारिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
- युवाओं को कौशल प्राप्त करने का आकांक्षी बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में आदर्श कौशल केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। चालू साल में इस तरह के 306 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के अंतर्गत 2018–19 में करीब 18 लाख लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का प्रस्ताव है जिस पर 1171 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

कुल मिलाकर 2018–19 का केंद्रीय बजट आवंटन की दृष्टि से कृषि, बुनियादी ढांचे, गांवों और पिछड़े जिलों में शिक्षा और पिछड़े जिलों को अपनाने जैसे कई कार्यक्रमों पर जोर देता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है जहां वे अधिकांश युवा रहते हैं जो आने वाले वर्षों में श्रम बाजार में प्रवेश करेंगे।

(लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी हैं और उन्होंने श्रम, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य किया है।)
ई–मेल srija.a@gov.in